16.4.26

प्र.फा.सं. 62/23 [illegible] / रामनारायण

वकील प्रार्थी के निवेदन

पर पत्रावली आज पेश हुई। अनुसार उपरोक्त वकील प्रार्थी ने प्रा. पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को आगे लंबित नहीं रखकर के तथा जरिये विड्रावल निस्तारित करवाने का निवेदन किया। अतः प्रकरण जरिये विड्रावल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

अपर कलक्टर, [illegible]